

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>05/09 2023</p>	<p>प्रकरण संख्या 24 / 2023 प्रहलादपुरी बनाम राज.सरकार 1/1/1</p> <p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल एवं अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व रसद विभाग की ओर से श्री रामावतार पुनिया उपस्थित।</p> <p>विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 457 Crpc पर बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी वाहन बोलरो पिकअप 2डब्ल्यूडीएमएस पंजीयन संख्या Rj-21 GC 4821 का मालिक हैं तथा उक्त वाहन एवं उसमें भरा प्रार्थी के स्वामित्व का माल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय प्लास्टिक की दो टंकिया, एक मैन्यूअल पम्प मय 10 फुट लम्बा प्लास्टिक पाईप, प्लास्टिक की पिम्पी वर्तमान प्रकरण में पुलिस थाना, खीवसर द्वारा जब्त किया हुआ हैं। उक्त वाहन पुलिस थाना, खीवसर में देखरेख के अभाव में पड़ा-पड़ा खराब हो रहा हैं, जबकि प्रार्थी को उक्त वाहन की नितान्त आवश्यकता रहती हैं। पुलिस थाना, खीवसर को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं हैं।</p> <p>विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी तर्क हैं कि प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन ही हैं, जिसके अभाव में प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति हो रही हैं। इसलिए उक्त वाहन को सुपूर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपूर्द करने का आदेश प्रदान किया जावें।</p> <p>अप्रार्थी की ओर से बहस में यह कथन किया गया कि वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया हैं, जो वर्तमान में पुलिस थाना खीवसर की सुपूर्दगी में दिया हुआ हैं प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस, खीवसर की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 के अनुसार प्रकरण में पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में जब्त वाहन पिकअप आरजे 21 जीसी 4821 के वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष हैं। जब्तशुदा वाहन पर एक-एक हजार लीटर की दो प्लास्टिक की टंकियां लगी हुई हैं, जिनमें कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ हैं। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मय दो प्लास्टिक की टंकिया मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मैन्यूअल पम्प मय दस फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं पुलिस टीम द्वारा खरीदा 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 22/2022 सरकार बनाम शैतानराम वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं, इसलिए उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपूर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया यह आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज फरमाया जावें।</p> <p>वकूलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन गया। प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना, खीवसर की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप रजि0न0 आरजे 21 जीसी 4821 के वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप</p>	

जिल्हाप्रमुख जिल्हा कलक्टर नागौर
 नोंदणी प्रार्थना पत्र संख्या-24/2023 प्रहलादपुरी ५/९ सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
----------------	------------------------------------	---


05 09
2023
(लगतार)

प्रकरण संख्या 24/2023 प्रहलादपुरी बनाम राज.सरकार
 //3//

पंजीयन संख्या आज 21 जीसी 4821 पर एक-एक हजार लीटर की दो प्लास्टिक की टंकिया लगी हुई हैं, जिनमें कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 मय दो प्लास्टिक की टंकिया मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मैन्यूअल पम्प मय दस फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं पुलिस टीम द्वारा खरीदा गया 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 22/2022 सरकार बनाम शैतानराम वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। इस प्रकार उक्तानुसार तथ्यों से थानाधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान अभी बाकी है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए भी जब्त सुदा माल को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.01.2022 को पेश किया गया जो दिनांक 27.01.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 खारिज किया गया है, पुनः उन्हीं तथ्यों को दोहराते हुवे यह प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है, जो खारिज योग्य ही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 22/2022 के साथ नत्थी हो।


 (डॉ० अमित यादव)
 जिला कलक्टर नागौर
 कलक्टर नागौर